आयुर्वेदिक औषधियों पर कमीशन लिया जाना

2117. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयुर्वेदिक औषध भंडार के अधिकारी मंत्रालय के अधिकारियों की मिलीभगत से औषध आपूर्ति-कर्ताओं से कमीशन प्राप्त करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप औषध निर्माता घटिया किस्म की औषधियों की आपूर्ति करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) ऐसे सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि आयुर्वेदिक औषध भंडार के अधिकारी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से औषध आपूर्तिकर्त्ताओं से कमीशन प्राप्त करते हैं। फार्मलरी औषधें आई०एम०पी०सी०एल० से खरीदी जाती हैं जो कि एक सरकारी उपक्रम है। शेष औषधें, जो आई०एम०पी०सी०एल० द्वारा विनिर्मित नहीं की जाती हैं, उन औषधों के नमूने सहित दरें आमंत्रित करके के०स०स्वा०यो० के साथ पंजीकृत प्राइवेट फर्मों से खरीदी जा रही हैं जो प्रतिवर्ष क्रय सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

(ग) और (घ) ऊपर (क) और (ख) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

यूनानी औषधियों पर कमीशन लिया जाना

2118. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत यूनानी औषध भंडार के कुछ अधिकारी मंत्रालय के अधिकारियों की मिली-भगत से औषध आपूर्ति कर्ताओं से कमीशन ले रहे हैं जिसके कारण घटिया औषधों की आपूर्ति होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परम्परा के कारण प्रतिष्ठित यूनानी औषध कम्पनियां और फर्म यूनानी भंडारों को औषधियों की आपूर्ति नहीं करती हैं क्योंकि उनकी औषधियां उच्च स्तर की होती हैं और वे घटिया किस्म की औषधियों की आपूर्ति करके अपनी छवि बिगाड़ना नहीं चाहती ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यूनानी स्टोर, मैसर्स इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड जो एक सरकारी उपक्रम है, से फार्मलरी औषधें खरीदता है। वे औषधें, जिनका विनिर्माण इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता है, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के साथ पंजीकृत उन फर्मों से खुली निविदाएं आमंत्रित करके खरीदी जा रही हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय अनुमोदित करता है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

Diseases in Bihar

2119. SHRI S.S. AHLUWALIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Cholera and gastroenteritis cases are on the rise in the State of Bihar and the number of patients affected by these diseases is likely to rise to alarming proportions in the State during the current monsoon period ;

(b) if so, whether Government have collected any data of patient

suffering from these disease in the State during the current calendar year ;

(c) if so, what are the details thereof ; and

(d) what preventive steps Government have taken to prevent the spread of cholera and gastroenteritis in epidemic form in the State of Bihar during the current monsoon period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) to (c) To investigate the reported outbreak of gastroenteritis in certain districts of Bihar, a team of experts from National Institute of Communicable Diseases, Delhi visited Darbhanga and Madhubani districts of Bihar in June, 1992. The team confirmed the outbreak to be due to cholera.

District-wise number of cases of gastroenteritis and deaths as collected by the investigation team from the District Health authorities are :

District	Period	Cases	Deaths
1. Madhubani	15-4-92 to 25-6-92	4012	168
2. Darbhanga	5-5-92 to 26-6-92	2811	86

Rapid survey conducted by the team in three villages showed that there was under reporting of the cases.

The NICO team has also reported that the outbreak is showing declining trend in both the districts.

(d) The NICO team made appropriate recommendations to the State Health Authorities for prevention and control of such out breaks.

Invention of oral contraceptive

2120. SHRI S. S. AHLUWALIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news report which appeared in the Statesman, New Delhi, on 19th May, 1992, relating the claim of a scientist viz. Dr. Sudhindra Sanyal, about his invention of oral contraceptive ;

(b) if so, whether Government have since reviewed the complaint that though the efficacy of the contraceptive developed from "pisum sativum" stood established, it has been denied approval due to bureaucratic whims ; and

(c) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The possible antifertility effect of pisum sativum (the common pea) has been the subject of various studies for several decades. Most of the studies were carried out by Dr. S.N. Sanyal and associates. They isolated a chemical compound Metaxylohydroquinone (MXHQ) from the oil of the plant which showed abortifacient, antiprogesterone and anti-implantation activities in female rats and antispermatogenic effects in male rats. However, results obtained by certain other group of workers on the same plant were conflicting. Clinica